न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/23/2015	2015/00081	13.05.2015	28.03.2025

1. थानाधिकारी पुलिस थाना रामगढ़, जिला अलवर (राजस्थान)

–प्रार्थी

बनाम

1. जाकिर हुसैन पुत्र जोरेखां निवासी ग्राम कारोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
2. जयसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत ग्राम बहरपुरी तहसील रामगढ जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

–::निर्णय::–

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना रामगढ़ के प्रकरण संख्या 111/99 धारा 3/7 ईसी एक्ट में चार (4) ड्रम कैरोसीन के जिनमें कुल 800 लीटर कैरोसीन भरा हुआ पाया गया। प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। उक्त प्रकरण में मुलजिम श्री जाकिर हुसैन पुत्र जुरेखा खां निवासी कारोली तहसील रामगढ जिला अलवर व जयसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत ग्राम बहरपुरी तहसील रामगढ जिला अलवर के विरुद्ध बाद अनुसंधान चालान न्यायालय जिला सेशन न्यायाधीन अलवर में पेश किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में जातशुदा माल के उचित रख रखाव के अभाव में थाना परिसर में बाहर पड़ा है जो अधिक धूप व तापमान के कारण ज्वलनशील पदार्थ में आग लग सकती है तथा नष्ट हो सकता है। जप्तशुदा माल के निस्तारण के संबंध में 6–ए की कार्यवाही कर उक्त प्रकरण में जप्तशुदा कैरोसीन को अधिकृत विक्रेता को बेचान करने के आदेश फरमाते हुये प्राप्त राशि को जमा राजकोष कराये जाने के आदेश (निस्तारण आदेश) फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी/अप्रार्थी वकील अनुपस्थित। प्रार्थी के अनुसार थाना रामगढ के प्रकरण संख्या 111/99 धारा 3/7 ईसी एक्ट में चार (4) ड्रम जिनमें 800 लीटर कैरोसीन भरा हुआ जब्त किया गया। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण श्री जाकिर हुसैन पुत्र जुरेखा खां निवासी कारोली तहसील रामगढ जिला अलवर व जयसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत ग्राम बहरपुरी तहसील रामगढ जिला अलवर द्वारा जब्त उक्त चार (4) ड्रम जिनमें 800 लीटर कैरोसीन के संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त जब्तशुदा कैरोसीन को अवैध भण्डारण/बेचान/परिवहन हेतु प्रयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा चार ड्रम कुल 800 लीटर कैरोसीन को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा चार ड्रम कुल 800 लीटर कैरोसीन, सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को भी सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)